



प्रसार भारती/Prasar Bharati
भारत का लोक सेवा प्रसारक/
India's Public Service Broadcaster
दूरदर्शन महानिदेशालय/DG: Doordarshan
कॉपरनिकस मार्ग/Copernicus Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110001

फा.फ.सं.No. 904/51/2017-18 एपीआईओ/APIO(आरटीआई/RTI)/8

दिनांक/Date: .2019

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय/Subject : दूरदर्शन के कशीर प्रकोष्ठ में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के नामांकन हेतु/Declaration of CPIO for DD Kashir cell.

सक्षम प्राधिकारी, दूरदर्शन महानिदेशालय के अनुमोदन से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत कशीर प्रकोष्ठ के सूचना का अधिकार संबंधित सभी मामलों के लिए श्री अभिषेक तिवारी, सहायक निदेशक (कार्यक्रम) को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी नामित किया जाता है/The Competent Authority, DG:DD, has accorded its approval to designate Shri. Abhishek Tiwari, Assistant Director (Programme) as Central Public Information Officer under Section 5(1) of Right to information Act, 2005 in respect of all RTI matters pertaining to DD Kashir cell of Directorate General, Doordarshan.

(डां. संजय कुमार/Dr. Sanjay Kumar)

उप निदेशक (प्रशा.) आरटीआई/Deputy Director (Admn.) & RTI

सेवा में/To,

श्री अभिषेक तिवारी, सहायक निदेशक (कार्यक्रम) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, कशीर प्रकोष्ठ/ Shri. Abhishek Tiwari, Assistant Director (Programme) & CPIO, DD Kashir cell to DD DG:DD.

प्रतिलिपि/Copy to:-

1. अपर महानिदेशक, कशीर प्रकोष्ठ/ADG (P), DD Kashir cell to DD DG:DD.
2. आई.टी. सेल से अनुरोध कि उपर्युक्त कार्यालय आदेश को www.ddindia.gov.in वेबसाइट के आरटीआई वेबपेज में सभी की जानकारी हेतु उपलोड कर दें/IT Cell : with a request to upload the above Office Order on the RTI webpage of www.ddindia.gov.in for information of all concerned.

(डां. संजय कुमार/Dr. Sanjay Kumar)

उप निदेशक (प्रशा.) आरटीआई/Deputy Director (Admn.) & RTI



प्रसार भारती/Prasar Bharati
भारत का लोक सेवा प्रसारक/
India's Public Service Broadcaster
दूरदर्शन महानिदेशालय/DG: Doordarshan
कॉपरनिकस मार्ग/Copernicus Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110001

फा.F.सं.No. 904/51/2017-18 एपीआईओ/APIO(आरटीआई/RTI)/8

दिनांक/Date: . .2019

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय/Subject : दूरदर्शन के सुरक्षा प्रकोष्ठ में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के नामांकन हेतु/Declaration of CPIO for Security cell.

सक्षम प्राधिकारी, दूरदर्शन महानिदेशालय के अनुमोदन से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत सुरक्षा प्रकोष्ठ के सूचना का अधिकार संबंधित सभी मामलों के लिए श्री संतोष कुमार, उप निदेशक (प्रशा.) को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी नामित किया जाता है/The Competent Authority, DG:DD, has accorded its approval to designate Shri Santosh Kumar Dy. Director (Admn.) as Central Public Information Officer under Section 5(1) of Right to information Act, 2005 in respect of all RTI matters pertaining to Security cell of Directorate General, Doordarshan.

(डां. संजय कुमार/Dr. Sanjay Kumar)

उप निदेशक (प्रशा.) आरटीआई/Deputy Director (Admn.) & RTI

सेवा में/To,

श्री संतोष कुमार, उप निदेशक (प्रशा.) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, सुरक्षा प्रकोष्ठ/Shri Santosh Kumar Dy. Director (Admn.) & CPIO, Security cell to DD DG:DD.

प्रतिलिपि/Copy to:-

1. उप महानिदेशक (प्रशा.), सुरक्षा प्रकोष्ठ/DDG (A), Security cell to DD DG:DD.
2. आई.टी. सेल से अनुरोध कि उपर्युक्त कार्यालय आदेश को www.ddindia.gov.in वेबसाइट के आरटीआई वेबपेज में सभी की जानकारी हेतु उपलोड कर दें/IT Cell : with a request to upload the above Office Order on the RTI webpage of www.ddindia.gov.in for information of all concerned.

(डां. संजय कुमार/Dr. Sanjay Kumar)

उप निदेशक (प्रशा.) आरटीआई/Deputy Director (Admn.) & RTI